

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)क.ले.भर्ती(2023)/अलेसे-III/965.

दिनांक :- 23.09.2024

:- Addendum:-

कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा-2023 में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के द्वितीय चरण के दस्तावेज सत्यापन करने हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 927 दिनांक 12.09.2024 में विशेष रूप से ध्यान रखे जाने वाले बिन्दुओं में बिन्दु संख्या 8 के नीचे दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के संबंध में निम्न बिन्दु संख्या 9 जोड़ा जाता है-

09. सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थी अपने दस्तावेज सत्यापन दिनांक को सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रातः 8.00 बजे उपस्थित होकर दिव्यांगता संबंधित आवश्यक मेडिकल जांच करवा कर ही दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हों। मेडिकल बोर्ड के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने पर मेडिकल जांच नहीं होने पर समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

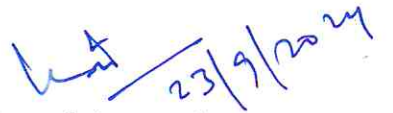
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 23.09.2024

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)क.ले.भर्ती(2023)/अलेसे-III/965.

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को बोर्ड की वेबसाइट पर भी अपलोड करावें।
4. संयुक्त निदेशक(प्रशासन) निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर।
5. अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक एवं प्रभारी (सत्यापन स्थल), को कार्यालय आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि संबंधित टीमों के साथ चैक लिस्ट तैयार कर निर्धारित कार्यक्रमानुसार अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच व दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही संपादित करवायें।
7. नोडल अधिकारी, मेडिकल बोर्ड, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर।
8. श्रीमती मुनेश लाम्बा, संयुक्त निदेशक, सिस्टम एनालिस्ट, DOIT जयपुर।
9. उपनिदेशक, ए.सी.पी. को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



संयुक्त निदेशक एवं
प्रभारी (DV)